

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 अप्रैल, 2014

आय-कर

का.आ. 997(अ).- केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (चौथा संशोधन) नियम, 2014 है ।
(2) ये 1 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त होंगे ।
2. आय-कर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 12 में,

(क) उपनियम (1) में, “2013” अंकों के स्थान पर “2014” अंक रखे जाएंगे ;

(ख) उपनियम (2) के परंतुक में “धारा 115 जख” शब्दों के पश्चात् “या धारा 11 की उपधारा (2) के खंड (क) के अधीन सूचना देना ” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ग) उपनियम (3) के पहले परंतुक में,-

(अ) खंड (ककख) के पश्चात् निम्नलिखित, अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

“(ककग) किसी फर्म से भिन्न प्ररूप आ.क.वि.-5 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित व्यक्ति जिसे खंड (ककक) लागू होता है, निर्धारण वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति विवरणी में प्रस्तुत करेगा ;”;

(आ) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

“(ख) आ.क.वि.-7 में विवरणी प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित कोई व्यक्ति वर्ष 2014-15 और पश्चातवर्ती निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत करेगा,-

(अ) धारा 139 की उपधारा (4ख) के अधीन प्रस्तुत किए जाने की दशा में, खंड (ii) में विनिर्दिष्ट रीति में;

(आ) अन्य दशाओं में खंड (i) या खंड (ii) या खंड (iii) में विनिर्दिष्ट रीति में ;”;

(घ) उपनियम (4) में “लेखापरीक्षा की रिपोर्ट” शब्दों के पश्चात् “या सूचना” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपनियम (5) में, “2012” अंकों के स्थान पर “2013” अंक रखे जाएंगे ।

3. उक्त नियमों में परिशि-ट-2 में “प्ररुप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, सुगम (आ.क.वि.-4एस) और आ.क.वि.-5” के स्थान पर क्रमशः “प्ररुप सहज (आ.क.वि.-1), आ.क.वि.-2, सुगम (आ.क.वि.-4एस) और आ.क.वि.-5” निम्नानुसार रखे जाएंगे :--

[अधिसूचना सं. 24/2014/ फा.सं.142/2/ 2014-टीपीएल]

(गौरव कनौजिया)
निदेशक, भारत सरकार

टिप्पण.- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना संख्यांक का.आ.969 (अ) तारीख 26 मार्च, 1962 को प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार आय-कर (तीसरा संशोधन) नियम, 2014 द्वारा अधिसूचना का.आ. सं0 878(अ) तारीख 21.03. 2014 द्वारा संशोधित किए गए ।